# झारखण्ड सरकार
## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

### संकल्प

विषय :— निबंधन कार्यालयों में दिनांक—01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में।

पूर्व में वित्त विभाग के ज्ञापांक—02, दिनांक—16.01.1979 द्वारा दिनांक—01.04.1979 को या बाद में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये 12 अस्थायी लिपिकों को राहत प्रदान करने हेतु पेंशन नियमावली के नियम 203(क) के अनुसार कतिपय शर्त्तों के अधीन पेंशनरी लाभ जैसे पेंशन/मृत्यु—सह—सेवानिवृत्त उपादान/उपादान तथा पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया गया है।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं0—518/वि0पें0, दिनांक—09.12.2004 द्वारा दिनांक—01.12.2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को वित्त विभागीय संकल्प सं0—143/वि0पें0, दिनांक—05.09.2022 द्वारा समाप्त कर दिनांक—01.12.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गयी है।

उक्त वित्त विभागीय संकल्प में वैसे कर्मी, जो वर्ष 1989 या इसके पूर्व से अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्यरत् थे एवं दिनांक—01.12.2004 के बाद अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाया गया हो, को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा के आधार पर पेंशन/उपादान/पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या—40/वि0पें0, दिनांक—12.03.2024 एवं संकल्प संख्या—128, दिनांक—17.07.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में संपरिवर्तित किये गये कर्मियों को कार्यभारित स्थापना में बितायी गई पूरी सेवा अवधि को शामिल करते हुए पेंशन एवं उपादान अनुमान्य किये जाने का उल्लेख है।

4. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में वर्ष 2005—2006 में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को पेंशन/उपादान एवं अन्य सेवान्त लाभ की अनुमान्यता का प्रस्ताव राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन था।

5. पूर्व में निबंधन कार्यालयों के 12 (बारह) अस्थायी लिपिकों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2005/2006 में की गई है एवं सेवानिवृत्ति वर्ष 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 है, को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत् पेंशन उपादान की स्वीकृति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची द्वारा दी गई है।

6. अतः अवमाननावाद सं0—403/2003 में पारित आदेश के आलोक में निबंधन विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0—515, दिनांक—02.09.2005 एवं आदेश सं0—238, दिनांक—05.04.2006 द्वारा क्रमशः 20 एवं 23, कुल—43 अतिरिक्त लिपिकों को अस्थायी

कृ0पृ0उ0

लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में नियुक्त किये जाने के उपरांत निबंधन कार्यालयों के 12 (बारह) अस्थायी लिपिक को पुरानी पेंशन योजना के तहत् पेंशन/उपादान की स्वीकृति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रदान की गयी है, को छोड़कर शेष संलग्न सूची में अंकित 31 कर्मियों को, वैसे कर्मी, जो वर्ष 1989 या इसके पूर्व से अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्यरत् थे एवं वर्ष 2005–06 में अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन/उपादान एवं पारिवारिक पेंशन जो अनुमान्य हो, उन्हें झारखण्ड पेंशन नियमावली–203(क) के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. लाभान्वित होने वाले कर्मियों की सूची निम्न है :–

| | अतिरिक्त लिपिक सम्प्रति नियमित अस्थायी लिपिक का नाम | आरक्षण कोटि | जन्म तिथि | सेवा निवृति की तिथि | अतिरिक्त लिपिक के रूप में कार्य हेतु संलग्न किये जाने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री कमल रंजन सिन्हा | अनारक्षित | 10.12.1957 | 31.12.2017 | 21.11.1986 |
| 2. | श्री विमल चन्द्र बोस | अनारक्षित | 10.03.1965 | 31.03.2025 | 21.11.1986 |
| 3. | श्री मो0 बसीर | अनारक्षित | 16.01.1958 | 31.01.2018 | 24.12.1987 |
| 4. | श्री राज कुमार सिंह | अनारक्षित | 15.01.1959 | 31.01.2019 | 04.08.1988 |
| 5. | श्री नरेश कुमार सिन्हा | अनारक्षित | 31.01.1960 | 31.01.2020 | 31.12.1988 |
| 6. | श्री हैदर अली | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 25.08.1953 | 31.08.2013 | 22.05.1976 |
| 7. | श्री दिलीप कुमार सेन | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 18.04.1963 | 30.04.2023 | 10.12.1981 |
| 8. | श्री निमाईचन्द्र सेन | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 06.07.1958 | 31.07.2018 | 22.04.1982 |
| 9. | श्री आनन्द कुमार | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 05.12.1966 | 31.12.2026 | 03.05.1985 |
| 10. | श्री संजय कुमार गुप्ता | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 20.05.1964 | 31.05.2024 | 07.05.1985 |
| 11. | श्री बलराम महतो | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 26.06.1963 | 30.06.2023 | 08.05.1985 |
| 12. | श्री महेन्द्र महतो | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 06.01.1965 | 31.01.2025 | 19.11.1986 |
| 13. | श्री गगन कुमार साहु | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 10.01.1965 | 31.01.2025 | 22.11.1986 |
| 14. | श्री किशोर प्रसाद वर्मा | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 10.10.1963 | 31.10.2023 | 12.12.1986 |
| 15. | श्री सूर्यदेव सिंह | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 14.01.1959 | 31.01.2019 | 30.05.1987 |
| 16. | श्री मुखलाल प्रसाद यादव | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 11.08.1958 | 31.08.2018 | 05.06.1987 |
| 17 | श्री श्याम सुन्दर झा | अनारक्षित | 15.01.1954 | 31.01.2014 | 07.01.1975 |
| 18 | श्री दीपक कुजूर | अनुसूचित जनजाति | 08.02.1959 | 28.02.2019 | 19.11.1986 |
| 19 | श्री लालेश्वर प्रसाद राउत | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 26.03.1951 | 31.03.2011 | 11.04.1974 |
| 20 | श्रीमती रीना मुण्डा | अनुसूचित जनजाति | 12.01.1964 | 31.01.2024 | 19.11.1986 |
| 21 | श्री विश्वनाथ बनर्जी | अनारक्षित | 01.02.1960 | 31.01.2019 | 10.12.1981 |
| 22 | सुश्री दोरोथिया सोरेंग | अनुसूचित जनजाति | 14.07.1962 | 31.07.2022 | 22.11.1986 |
| 23 | श्री कृष्णा रंजन सहाय | अनारक्षित | 03.08.1960 | 31.08.2020 | 22.03.1982 |
| 24 | श्रीमती जावित्री मिंज | अनुसूचितजनजाति | 05.11.1962 | 30.11.2022 | 16.06.1988 |
| 25 | श्री रमेश राम मोची | अनुसूचित जाति | 06.01.1965 | 31.01.2025 | 01.11.1989 |
| 26 | श्रीमती अंजली शिरोमणी मिंज | अनुसूचित जनजाति | 10.06.1967 | 30.06.2027 | 17.06.1988 |
| 27 | श्री जागेश्वर प्रसाद सिंह | अनारक्षित | 15.02.1958 | 28.02.2018 | 12.11.1983 |
| 28 | श्री प्रवेश कुमार मिश्र | अनारक्षित | 02.05.1963 | 31.05.2023 | 07.03.1984 |
| 29 | श्री सिताराम किस्कू | अनुसूचित जनजाति | 15.02.1956 | 29.02.2016 | 07.07.1991 |
| 30 | श्री विपीन कुमार सिंह | अनारक्षित | 12.01.1965 | 31.01.2025 | 07.05.1985 |
| 31 | श्री जगदेव दास | अनुसूचित जाति | 21.02.1957 | 28.02.2017 | 07.07.1991 |

8. उपरोक्त कंडिका–06 में वर्णित कर्मियों का मामला वित्त विभागीय संकल्प सं0–196/वि0पे0, दिनांक–19.09.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में PRAN खाताधारी उक्त कर्मियों द्वारा सरकारी अंशदान (लाभांश सहित) की राशि को सरकारी राजकोष में वापस किये जाने के उपरांत ही ऑफलाईन पेंशन प्रपत्र भरने की स्वीकृति की प्राप्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

**उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(ए0 दोड्डे)

सरकार के विशेष सचिव।

**ज्ञापांक :–03/निबंधन स्थापना (अराजपत्रित)–60/2019 रा0/राँची, दिनांक–**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

**ज्ञापांकः–03/निबंधन स्थापना (अराजपत्रित)–60/2019** 2415/**रा0/राँची, दिनांक**–11-09-2025

प्रतिलिपिः– माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/निदेशक, पेंशन एवं लेखा निदेशालय, राँची/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला निबंधक–सह–उपायुक्त/सभी संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/9/25

सरकार के विशेष सचिव।